न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 52/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/74**
दायर दिनांक :— 11.03.2024 **निर्णय दिनांक :— 24.04.2025**

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम्

1. दुर्गसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. भंवरकंवर पुत्री नखतसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. लक्ष्मीकंवर पत्नी पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. श्रवणसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलया माता लक्ष्मीकंवर पत्नी पर्वतसिंह
6. डूंगरसिंह पुत्र पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता
अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 6
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 0.6475 भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 4.3463 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.6754 हैक्टेयर ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 40 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का खसरा नम्बर 39 व 35 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। वर्तमान में प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खेत से लगता कटाण मार्ग स्थित है जो कटाण मार्ग मौके पर चालू है जिस कटाण मार्ग तक पहुंच के लिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 6 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार–

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 40 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 39 व 35 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 39 के निकटतम खसरा नम्बर 35 के चिपता छायण से टेकरा कटाण मार्ग है।
3. यदि खसरा नंबर 35 व 39 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.1127 हैक्टेयर व 0.0427 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नंबर 35 रकबा 0.1127 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0427 हैक्टेयर मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर

सह... अधिकारी
बा... (...दा)

मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। रास्ते की एवज में प्रतिकर की राशि का भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को किया जावे। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)